

VTL/OFC/FRST/BHR/WO/20/19

DATE- 28/3/2020

प्रेषक,  
विन्ध्या टेलीलिंक लिमिटेड  
पटना, बिहार  
मेन्ना में,  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
सह नोडल पधाधिकारी (वनसंरक्षण)  
बिहार, पटना

9/4/2020

विषय: बांका जिला अंतर्गत विन्ध्याटेलीलिंक लिमिटेड द्वारा कटोरिया, धौरया, चान्दन, बाँसी, फुल्लीडूमर, बेलहर, बाराहत एवं बांका प्रखंड के पथ के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 2.867 हे० वन भूमि का विन्ध्या टेलीलिंक लिमिटेड बिहार, पटना के पक्ष में अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति.

महाशय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 127 दिनांक -10/02/2020 के आलोक में प्राप्त सैद्धान्तिक अंतिम स्वीकृति का कण्टिकावार शर्त का अनुपालन निम्न है

क्रम नं	शर्त	अनुपालन
I.	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।	हो
II.	यद्यपि परियोजना निर्माण में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं होना है परन्तु हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों का रैखिक वृक्षारोपण परियोजना स्तर पर किया जायेगा। इस निर्मित परियोजना एजेंसी रु०-26,30,986/- मात्र को पर्यावरण एवं वन विभाग को उपलब्ध करायेगी।	28-02-2020 को जमा किया गया (रसीद संलग्न)
III.	शक्तिपूरक श्रान्तीकरण मद की कुल राशी 26,30,986/- ( रूपये छब्बीस लाख तीस हजार नौ सौ छियासी) मात्र को मंत्रालय के वेबसाइट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online mode द्वारा फंड ट्रान्सफर कर राशी जमा कराया जायेगा।	28-02-2020 को जमा किया गया (रसीद संलग्न)
IV.	उक्त जमा की गई राशी को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ जमा की गई राशी की सुचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाये।	28-02-2020 को जमा किया गया (रसीद संलग्न)
V.	वर्तमान में इस परियोजना में NPV मद की राशी जमा करने से परियोजना एजेंसी को छुट प्रदान की गई है परन्तु माननीय न्यालय के द्वारा संसोधन या NPV के दर में वृद्धि होने पर राशी जमा करने के संबंध में परियोजना एजेंसी को बचनबद्धता देनी होगी की उनके द्वारा अतिरिक्त/अंतर की राशी जमा की जाएगी	मान्य है।
VI.	परियोजना एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा	मान्य है।
VII.	वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिए नहीं किया जायेगा और न ही अपरिशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।	मान्य है
VIII.	वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री के ढुलाई के लिए अतिरिक्त अथवा नए पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।	मान्य है

IX.	वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (LABOUR CAMP) नहीं बनाया जायेगा।	हाँ सुनिश्चित करूंगा।
X.	वन क्षेत्र के बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को इंधन आपूर्ति का दायित्व परियोजना एजेंसी का होगा परियोजना एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की वन एवं वन प्राणियों को परियोजना एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा रहे है।	मान्य है।
XI.	परियोजना निर्माण में उपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र Stage-II स्वकृति के पूर्व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही प्रयोक्ता एजेन्सी को working permission निर्गत किया जायेगा।	मान्य है।
XII.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	अनुपालन करूंगा।
XIII.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।	सभी शर्तें मान्य है।
XIV.	यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्तें आवश्यक होगी तो कालांतर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं परियोजना एजेंसी के लिए यह बाधकारी होगा।	मान्य है।
XV.	उपरोक्ता अभिकरण (इस मामले में विन्ध्या टेलिकॉम लिमिटेड, पटना) अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (ASSIGNMENT) नहीं करेगी।	मान्य है।

अतः धीमान से आग्रह है की उपरोक्त शर्तें अनुपालन के आधार पर कर््यानुमति प्रदान करने की कृपा की जाये।

धन्यवाद।

भवदीय


  
विन्ध्या टेलिकॉम लिमिटेड
  
पटना, बिहार

2/17/2020

NEFT/RTGS CHALLAN

**AGENCY COPY**  
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA  
Date : 17-02-2020

Agency Name:	M/S VINDHYA TELELINKS LIMITED
Application No.	19942542035
MoEF/SG File No.	FC/80/2019
Location:	BIHAR
Address:	EPC Division Flat No. 101 Yogendrara, Patna Bihar Patna
Amount(in Rs)	2630986/-

Amount In Words : Twenty-Six Lakh Thirty Thousand Nine Hundred and Eighty-Six Rupees - Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1506219942542035 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

**BANK COPY**  
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA  
Date : 17-02-2020

Agency Name:	M/S VINDHYA TELELINKS LIMITED
Application No.	19942542035
MoEF/SG File No.	FC/80/2019
Location:	BIHAR
Address:	EPC Division Flat No. 101 Yogendrara, Patna Bihar Patna
Amount(in Rs)	2630986/-

Amount In Words : Twenty-Six Lakh Thirty Thousand Nine Hundred and Eighty-Six Rupees - Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1506219942542035 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Print Back

